मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 903
21 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

कचरे और अपशिष्ट से बिजली और उर्वरक उत्पादन

903. **श्री पशुपति नाथ सिंहः**
श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरों से संग्रहित किए गए कचरे/अपशिष्ट से उर्वरक उत्पादन और विद्युत उत्पादन करने हेतु सरकार की योजना क्या है;

(ख) उक्त योजना लागू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और किए गए उपायों के क्या
परिणाम रहे;

(ग) अवशेषों से विद्युत उत्पादन पर उत्पाद शुल्क निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में किए गए उपायों के क्या निष्कर्ष रहे?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) : सरकार ने नगरीय अपशिष्ट से खाद का उत्पादन करने और बिजली उत्पन्न करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

i. सरकार खाद की बिक्री पर 1500 रूपये प्रति टन की विपणन विकास सहायता प्रदान करती है।
ii. सरकार ने उत्पादित खाद के सुनिश्चित विपणन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरक वितरण कम्पनियों के साथ खाद उत्पादक संयंत्रों को टैग किया है।
iii. ऊर्जा मंत्रालय ने डीआईएससीओएमएस हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों से बिजली खरीदना अनिवार्य करने के लिए भारतीय विद्युत अधिनियम,2003 के तहत टैरिफ नीति,2006 में संशोधन किया है। अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्रों के लिए निर्धारित जेनेरिक टैरिफ 7.04 रूपये प्रति यूनिट है और रिफ्यूज्ड डिराईव्ड फ्यूल (आरडीएफ) का उपयोग करके ऊर्जा योजना हेतु 7.90 रूपये प्रति यूनिट है।
iv. अपशिष्ट से खाद अथवा बिजली का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की परियोजना लागत के व्यवहार्य अंतर कोष (वीजीएफ) को 20% से बढाकर 35% की वृद्धि करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

v. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भी अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) मिशन के कार्यान्वयन से विगत 04 वर्षों में अपशिष्ट प्रसंस्करण की क्षमता 26,027 टन प्रति दिन (डॉ. कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के अनुसार) से 83,696 टन प्रति दिन तक बढ गई है। खाद की बिक्री बिल्कुल नगण्य से वर्तमान में 3,09,937.4 मीट्रिक टन तक बढी है। नगरीय अपशिष्ट से बिजली का उत्पादन चार क्रियाशील अपशिष्ट से बिजली निर्माण संयंत्रों (डब्ल्यूटीई) से 61 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) तक बढा है। 214 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) की उत्पादन क्षमता वाले अन्य 26 डब्ल्यूटीई संयंत्र निर्माणाधीन हैं ।

(ग) और (घ) : बिजली पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता है और इसे जीएसटी से छूट दी गई है।

*****